शव्वाल के छः रोज़ों से संबंधित फत्वे

[*हिन्दी*]

فتاوى مختارة في صيام الست من شوال

[اللغة الهندية]

लेख

शैख़ मुहम्मद बिन सालेह अल-उसैमीन रहिमहुल्लाह

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

अनुवाद

अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह

ترجمة: عطاءالرحمن ضياء الله

संशोधन

शफीकुर्रहमान ज़ियाउल्लाह मदनी

مراجعة: شفيق الرحمن ضياء الله المدني

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة

الرياض - المملكة العربية السعودية

इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

1428-2007

islamhouse.com

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

अल्लाह के नाम से आरम्भ करता हूँ जो अति मेहरबान और दयालु है।

हर प्रकार की प्रशंसा सर्व जगत के पालन हार अल्लाह तआला के लिए योग्य है, तथा अल्लाह की कृपा एंव शांती अवतरित हो अन्तिम संदेष्टा मुहम्मद पर, तथा आप के साथियों, आप की संतान और आप के मानने वालों पर।

शव्वाल के छः रोज़ों के अह्काम व मसाईल के विषय में सऊदी अरब के एक महा विद्वान मुहम्मद बिन सालेह बिन उसैमीन रहिमहुल्लाह से पूछे गये यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किये जा रहे हैं, आशा है कि यह फतवे शव्वाल के छः रोज़ों के अहकाम के जानने में लाभदायक सिद्ध होंगे। (अ.र.)

प्रश्न १ : शव्वाल के छः रोज़ों के विषय में सर्वश्रेष्ठ चीज़ क्या है?

उत्तर : सर्वश्रेष्ठ यह है कि शव्वाल के छः रोज़े ईद के तुरन्त पश्चात और लगातार रखे जाऐं, जैसा कि विद्वानों (उलमा) ने इसे विशेष रूप से उल्लेख किया है, इसलिए कि यह उस अनुसरण (पैरवी) की पूर्ति के अधिक योग्य है जो हदीस के अन्दर आया है कि ((**ثم أتبعه**)) अर्थात फिर उसके पीछे ही (तुरन्त पश्चात ही शव्वाल के छः रोज़े रखे)। तथा इसलिए कि यह भलाई की ओर शीघ्रता करने के बाब से है जिसके बारे में कुरआन व हदीस के नुसूस के अन्दर रूचि दिलाई गई है और उसके करने वाले की प्रशंसा की गई है, और इसलिए भी कि यह उस दूरदर्शिता का प्रतीक है जो बन्दे के गुण और विशेषता में से है, इसलिए कि अवसरों को छोड़ देना उचित नहीं है; क्यों कि आदमी को कुछ भी पता नहीं कि दूसरे समय और अन्त में क्या चीज़ पेश आजाए, इस से मेरा मतलब यह है कि आदमी को अपने समस्त कामों में जैसे ही ठीक बात का पता चल जाए उसे सम्पन्न करने और अवसरों से लाभ उठाने में शीघ्रता करना चाहिए।

प्रश्न 2 : क्या मनुष्य के लिए जाइज़ है कि वह अपनी पसन्द से शव्वाल के जिन दिनों का रोज़ा रखना चाहे रखे, या इन दिनों का कोई विशेष निर्धारित समय है ? और यदि मुसलमान ने किसी वर्ष शव्वाल के इन दिनों का रोज़ा रख लिया तो क्या यह उस पर फर्ज़ हो जाता है और हर साल उस पर रोज़ा रखना अनिवार्य हो जाता है ?

उत्तर : अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से प्रमाणित है कि आप ने फरमाया :

((**من صام رمضان ، ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر**)).

"जिस व्यक्ति ने रमज़ान का रोज़ा रखा, फिर उसके पश्चात ही शव्वाल महीने के छः रोज़े रखे तो वह ज़माने भर रोज़ा रखने के समान है।" (मुस्लिम हदीस न॰ ११६४)

इन छः रोज़ों का कोई निश्चित और निर्धारित समय नहीं है, बल्कि पूरे महीने में से मोमिन जो भी दिन चाहे चयन कर ले, यदि चाहे तो उसके शुरू में रोज़ा रखे, और यदि चाहे तो उसके बीच में रोज़ा रखे, और यदि चाहे तो उसके अन्त में रोज़ा रखे, और यदि चाहे तो उसे पूरे महीने में अलग अलग दिनों में रखे, अल्लाह की प्रशंसा है कि इस मामले मे विस्तार है। और यदि उसके लिए शीघ्रता करता है और उसे महीने के शुरू ही में रख लेता है तो भलाई की ओर पहल करने के बाब से यह श्रेष्ठ है, किन्तु अल्लाह की प्रशंसा है कि इसके अन्दर कोई तंगी नहीं है, बल्कि उसके अन्दर मामले में विस्तार (कुशादगी) है, यदि चाहे तो रमज़ान के पश्चात ही लगातार रखे, और यदि चाहे तो अलग अलग दिनो में रखे, फिर यदि वह कुछ साल रोज़ा रखता है और कुछ साल छोड़ देता है तो कोई बात नहीं; इसलिए कि यह नफ़्ली रोज़ा है फर्ज़ नहीं है।

प्रश्न 3 : उस व्यक्ति के लिए शव्वाल के छः रोज़े रखने के बारे में आप का क्या विचार है जिस पर (रमज़ान के रोज़ों की) कज़ा वाजिब है?

उत्तर : इस प्रश्न का उत्तर नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के इस फरमान में है:

((**من صام رمضان ، ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر**)).

"जिस व्यक्ति ने रमज़ान का रोज़ा रखा, फिर उसके पश्चात ही शव्वाल महीने के छः रोज़े रखे तो वह ज़माने भर रोज़ा रखने के समान है।" (मुस्लिम हदीस न॰ ११६४)

प्रश्न यह है कि यदि किसी मनुष्य पर (रमज़ान के रोज़े की) क़ज़ा अनिवार्य है और वह शव्वाल के छः रोज़े रखता है तो क्या उसने उन रोज़ों को रमज़ान से पहले रखा है या रमज़ान के पश्चात ?

उदाहरण : एक व्यक्ति ने रमज़ान के चौबीस (२४) रोज़े रखे, और उस पर छः दिन के रोज़े शेष रह गए, अब यदि वह रमज़ान के छः रोज़े क़जा के रखने से पूर्व शव्वाल के छः रोज़े रखता है तो यह नहीं कहा जाएगा किः उसने रमज़ान के रोज़े रखे, फिर उसके पश्चात ही शव्वाल के छः रोज़े रखे; इसलिए कि यह नहीं कहा जा सकता कि उसने रमज़ान के रोज़े रखे मगर केवल इस स्थिति में कि उसने रमज़ान के पूरे रोज़े रखे हों, इस आधार पर उस व्यक्ति के लिए शव्वाल के छः रोज़े रखने का सवाब सिद्ध नहीं होगा जिसने अपने ऊपर रमज़ान के कज़ा के अनिवार्य होते हुए उसके रोज़े रखे।

इस मस्अले का संबंध इस अध्याय से नहीं है कि **''जिस पर रोज़े की कज़ा वाजिब हो उसके लिए नफ्ली रोज़ा रखने के जाइज़ होने के बारे में उलमा के मध्य मतभेद है''**, इसलिए कि यह मतभेद शव्वाल के छः रोज़ों के अतिरिक्त में है, जहाँ तक शव्वाल के छः रोज़ों का प्रश्न है तो वह रमज़ान के अधीन हैं, और उनका सवाब उसी के लिए सिद्ध हो सकता हैं जिसने रमज़ान के पूरे रोज़े रख लिए हैं।

अनुवादक

(अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह)*

* *atazia75@gmail.com*